UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.18/2016/873/XXX-4-2016-8(1)/2013TC-I, dated June 15, 2016

NOTIFICATON

No.18/2016/873/XXX-4-2016-8(1)/2013TC-I
Lucknow Dated: June 15, 2016

In exercise of powers under sub-rule (2) of rule 108 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and in Continuation of notification no 354/XXX-4-2014-8(1)/13 dated March 10, 2014 the Governor specifies and directs that any vehicle carrying Chief Election Commissioner/ Election Commissioner of Uttar Pradesh Co-operative Election Commission anywhere in the State at the time of duty, shall be permitted to use blue light on the middle part of the roof of the vehicle.

By order,

(Kumar Arvind Singh Deo)
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-18/2016/873/तीस-4-2016-8(1)/2013टीसी-1

लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2016

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-108 के उप नियम-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में शासकीय भ्रमण के दौरान नीली बत्ती के प्रयोग की सुविधा अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-354/तीस-4-2014-8(1)/13, दिनांक 10 मार्च, 2014 के अनुक्रम में श्री राज्यपाल यह विर्निदिष्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त/निर्वाचन आयुक्त को ले जा रहे शासकीय वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर, जब वह राज्य में कहीं शासकीय भ्रमण पर हों, नीली बत्ती के प्रयोग की अनुज्ञा होगी।

आज्ञा से,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-18/2016/873(1)/तीस-4-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 15 जून, 2016 के असाधारण गजट के परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-18/2016/873(2)/तीस-4-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण/मा0 राज्य मंत्रीगण।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. स्टाफ आफिसर, मंत्री मण्डलीय सचिव।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। (द्वारा परिवहन आयुक्त)
10. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। (द्वारा परिवहन आयुक्त)
13. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0। (द्वारा परिवहन आयुक्त)
14. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-18/2016/873(3)/तीस-4-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in